भारत सरकार | लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं. 744
वाणिज्य विभाग

दिनांक 07 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात को प्रोत्साहन

744. श्री जयदेव गल्ला:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विगत दो वर्षों के दौरान पूरे भारत में जिलों से निर्यात को प्रोत्साहित करने के संबंध में व्यय की गई कुल धनराशि की तुलना में राज्य-वार विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) इस पहल के आरंभ होने के बाद से आंध्र प्रदेश के जिलों से निर्यात केन्द्र पहल के रूप में जिलों से कुल कितना लाभ अर्जित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में निर्यात केन्द्र पहल के रूप में जिलों में जागरूकता और व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने जिलों के लिए निर्यात केन्द्र पहल के रूप में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ) : सरकार ने निर्यात केन्द्र पहल के रूप में जिला के अन्तर्गत जिलों से निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय किए हैं। इस पहल के अंतर्गत जिलों में निर्यात संभावना वाले उत्पादों/सेवाओं को चिन्हित किया गया है। जिला स्तर पर राज्य निर्यात संवर्धन समिति (एसईपीसी) और जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) का गठन करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है। जिलों द्वारा आपूर्ति श्रृंखला में मौजूदा अवरोधों का विवरण देते हुए " निर्यात केन्द्रों के रूप में जिला " के अंतर्गत जिला निर्यात कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं और मौजूदा कमियों को कम करने के लिए संभावित अंत:क्षेपो को चिन्हित किया जा रहा है। ये जिलों में निर्यात और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए नए व्यवसाय का समर्थन करके चिन्हित उत्पादों और सेवाओं को निर्बाध रूप से निर्यात करने के लिए

स्थानीय निर्यातकों और निर्माताओं द्वारा आवश्यक सहयोग की रूपरेखा तैयार करते हैं। '' निर्यात केन्द्र पहल के रूप में जिले '' के अन्तर्गत निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न जिलों में निर्यात संवर्धन आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें निर्यातकों के साथ हैंडहोल्डिंग सत्र और विभिन्न संबंधित एजेंसियों/विभागों जैसे डाक विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), बैंकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, निर्यात संवर्धन परिषदों, स्थानीय व्यापार संघों/चैम्बरों, जिला उद्योग केंद्रों आदि के प्रतिनिधियों के साथ निर्यातकों के निर्यात संबंधी जागरूकता सत्र शामिल हैं। इसके अलावा, विशेष रूप से ई- कॉमर्स निर्यात के प्रस्तावित कार्यान्वयन के साथ रोजगार की एक वृहत संभावना है। निर्यात हब के रूप में जिले के अन्तर्गत आयोजित आउटरीच कार्यक्रमों के भाग के रूप में आंध्र प्रदेश के जिलों में 1000 से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी के साथ पिछले दो वर्षों के दौरान 15 निर्यात जागरूकता बैठकें/हितधारकों की बैठकें आयोजित की गई हैं।

****